न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 18 / 2023

अपीलांट्स –

1. हीराराम पुत्र जेठाराम
2. जोगाराम पुत्र नारनाराम
3. देवी पुत्री नारनाराम जाति जाट निवासीयान करनपुर, चौखला तहसील बाटाड़ू, जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. राजस्थान राज्य जरिये– तहसीलदार बाटाड़ू, जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध बंटवाडा आदेश क्रमांक एलआर / 2023 / 64 दिनांक 10.05.2023 जो श्रीमान उपतहसीलदार बाटाड़ू द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 02.04.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट उपतहसीलदार बाटाड़ू के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक एलआर / 2023 / 64 दिनांक 10.05.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा ग्राम करनपुर पटवार मण्डल चौखला तहसील बाटाड़ू में अपीलांट्स के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 191, 190 रकबा 21.3576, 0.1214 हैक्टेयर (वर्तमान विभक्त खसरा नंबर 679 / 191, 678 / 191 रकबा [illegible] हैक्टेयर) के बंटवाडे हेतु आवेदन प्रशासन गांवों के संग, 2023 में श्री[illegible] उपतहसीलदार बाटाड़ू के समक्ष दिनांक 10.05.2023 को पेश किया, जिसमें पक्षकारों को बराबर जमीन दिलवाने का भरोसा दिलवाकर उनके [illegible] नक्शा पर हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशान करवाये तथा मौके पर बाहमी तौर से किए गए बटवाडा [illegible] भिन्न प्रकार से बंटवाडा किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

दिनांक 14.09.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र तथा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि मौजा ग्राम करनपुर पटवार मण्डल चौखला तहसील बाटाडू में अपीलांट्स के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 191, 190 रकबा 21.3576, 0.1214 हैक्टेयर (वर्तमान विभक्त खसरा नंबर 679/191, 678/191 रकबा क्रमशः 10.5574, 10.6788 हैक्टेयर) आए हुए हैं। उक्त भूमि में अपीलांट्स द्वारा बंटवाडे हेतु आवेदन श्रीमान उपतहसीलदार बाटाडू के समक्ष दिनांक 10.05.2023 को पेश किया, जिसमें पक्षकारों को बराबर जमीन दिलवाने का भरोसा दिलवाकर उनके खाली नक्शा पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाये तथा मौके पर बाहमी तौर से किए गए बंटवाडा से भिन्न प्रकार से बंटवाडा किया गया, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि कुछ अरसा पूर्व अपीलांट द्वारा अपने खेतों के सीमाज्ञान करवाने के लिए हल्का पटवारी के पास से नक्शा प्राप्त किया तो उक्त गलत आदेश का ज्ञान हुआ। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 17.08.2023 को उपतहसील कार्यालय बाटाडू से नकले दिनांक 21.08.2023 को प्राप्त कर उसका अवलोकन करवाया तो सर्वप्रथम गलत बंटवाडा होने का ज्ञान हुआ। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह प्रकट होता है कि मौजा ग्राम करनपुर पटवार मण्डल चौखला तहसील बाटाडू में अपीलांट्स के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 191, 190 रकबा 21.3576, 0.1214 हैक्टेयर (वर्तमान विभक्त खसरा नंबर 679/191, 678/191 रकबा क्रमशः 10.5574, 10.6788 हैक्टेयर) आए हुए हैं। उक्त भूमि में अपीलांट्स द्वारा बंटवाडे हेतु आवेदन प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 में श्रीमान उपतहसीलदार बाटाडू के समक्ष दिनांक 10.05.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

2023 को पेश किया, जिस पर बंटवाडे का नक्शा प्रस्तुत किया गया था, वह नक्शा मौके पर बाहमी तौर से किए गए बंटवाडा से भिन्न प्रकार से बंटवाडा किया गया, जिस पर उपतहसीलदार बाटाडू के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उसके आधार पर बंटवाडा आदेश दिनांक 10.05.2023 को हो गया, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। उंपरोक्त बंटवाडा नक्शा वास्तविक कब्जा व मौके के अनुसार नहीं बनाने का अपीलांट्स को ज्ञान सीमाज्ञान करवाने के समय हुआ। जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.09.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। बंटवाड़ा अपीलांट्स के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। जिस कारण अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि अन्य अपीलांट्स के कब्जे मे चली गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बाटाडू द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट उपतहसीलदार बाटाडू द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक एलआर/2023/64 दिनांक 10.05.2023 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाटाडू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:05 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)